

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक C-1794/बा0वि0परि0/योजना/2016-17.

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर अनुपूरक पोषाहार के वितरण के सम्बन्ध में।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा सबला योजनान्तर्गत आच्छादित किशोरी बालिकाओं को अनुपूरक पोषाहार (टी0एच0 आर0) के वितरण के लिए प्रत्येक माह की 05, 15 एवं 25 तारीख निर्धारित है तथा ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) पर भी पोषाहार का वितरण किये जाने के निर्देश है। वितरण की जिस नियत तिथि के निकट ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया जाता है, तो उस नियत तिथि को पोषाहार का वितरण न करके ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) पर तथा अन्य दो तिथियों पर पूर्ववत् वितरण किया जाना है।

अतएव आप यह सुनिश्चित करें कि ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर अनुपूरक पोषाहार की पर्याप्त उपलब्धता हो और सभी लाभार्थियों को इसका वितरण किया जाय। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) के आयोजन की पूरी सूची अपने पास रखे और आयोजन दिवस के पूर्व ही सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका से वार्ता कर दिवस के दिन अनुपूरक पोषाहार की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करें और तदनुसार स्पष्ट निर्देश जनपद की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मुख्य सेविकाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रदान करें।

यदि ग्राम/शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (V.H.N.D.) को कही पर भी अनुपूरक पोषाहार का सम्यक वितरण लाभार्थियों को नहीं पाया जाता है, तो इसका तत्काल संज्ञान ले तथा सम्बन्धित के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें और निदेशालय को भी अवगत कराये।



(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन : _____ / तददिनांक :

- प्रतिलिपि : 1. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक